

तृतीय अनुपूरक अनुमान 2016-17 में योजनावार प्रावधान

योजना क्रमांक एवं नाम		प्रावधान (रूपये में)
125	अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का भत्ता (भारित)	1410000
2294	निर्देशन	326195
2450	न्याय प्रशासन	100*
4007	विधान सभा	33000000
4311	संसद के लिए चुनाव कराने के प्रभार	29200000
4492	सामान्य व्यय (विशेष पुलिस)	261900000
5371	नया रायपुर डेव्हलपमेन्ट अथॉरिटी	100*
5516	वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)	100*
5628	कृषक ऋण ब्याजदर युक्तियुक्तकरण हेतु ब्याज अनुदान	497000000
6299	ग्रामीण क्षेत्रों के गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण	1530801000
6753	पर्यावरण निधि का अंतरण	853777000
6754	अधोसंरचना विकास निधि में अंतरण	1084148000
6757	बाढ़ नियंत्रण योजनाएं	100*
7323	भारतीय होटल प्रबंधन संस्थान	42900000
7475	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना	250000000
7490	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	517786000
7498	पूँजीगत व्यय विद्युत पारेषण / उत्पादन / वितरण कम्पनी	3300000000
7611	गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का नगरीय निकायों के लिए अंतरण	38847000
7652	दीनदयाल उपाध्याय ग्रामज्योति योजना	135800000
7675	चौदहवें वित्त अयोग के अनुशंसा के अंतर्गत प्राप्त अनुदान	761950000
7693	सोलर पंप हेतु सहायक अनुदान	200000000
7699	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	365000000
7759	श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन	91600000

नोट:* यह प्रतीक प्रावधान है, आवश्यक व्यय विभागीय बचत के समायोजन से किया जाएगा । - 1

तृतीय अनुपूरक अनुमान 2016-17 में योजनावार प्रावधान

	योजना क्रमांक एवं नाम	प्रावधान (रूपये में)
7797	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	207273000
7814	नीलक्रांति अंतर्गत मत्स्य पालन विकास एवं प्रबंधन कार्यक्रम	71196000
7849	छ.ग. राज्य मार्केटिंग कॉर्पोरेशन	700000000
7855	आकस्मिकता निधि में अंतरण	600000000
7856	ग्रीन इंडिया मिशन	600 *
7857	पारिस्थितिकीय सेवा विकास परियोजना	600 *
7858	सौर ऊर्जा आधारित ग्रामीण पेयजल योजना	500000200
8545	नाबार्ड सहायता से गोदाम निर्माण	273539000
8555	छत्तीसगढ़, राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण	99195000
8716	केन्द्रीय सड़क निधि	100 *
8979	एकीकृत अम्ब्रेला योजना	57519000
योग		12504169095

नोट:* यह प्रतीक प्रावधान है, आवश्यक व्यय विभागीय बचत के समायोजन से किया जाएगा । - 2